मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक .10.2022

क्रमांक: एफ 1-5/2021/साठ :- राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय नवीन "मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022" दिनांक 18.08.2022 को लागू की गई है। उक्त नीति में निर्देशानुसार आंशिक संशोधन करते हुए निम्न कंडिकाओं को समाहित किया जाता है। परियोजना हेतु आवश्यक राजस्व भूमि, नीति के दिशा-निर्देशों की कंडिका 3.1 एवं 3.2 अनुसार योग्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु राजस्व भूमि उपयोग की अनुमति, राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 1 के अतंर्गत जारी नीति दिनांक 30.05.2013 (यथा संशोधित दिनांक 04.03.2014) की कंडिका 3(4) के अनुसार, 'भूमि उपयोग अनुज्ञा अनुबंध' (LUPA) के अनुरूप प्रदान की जाएगी। पूर्व मे विभाग के अतंर्गत पंजीकृत विभिन्न परियोजनाओं को नवीन नीति में स्थानांतरित होने की भी सुविधा प्रदान की गई है। नवीन नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 में परियोजनाओं के सब रजिस्ट्रेशन, फर्म का नाम-पता परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रावधान नही किए गए है। नीति की कंडिका 1.1.1 तथा 1.2.6 अनुसार नवकरणीय ऊर्जा नीति में संशोधन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है, जिसका उपयोग करते हुए उपरोक्त के अनुसार निम्नलिखित कार्यो हेतु पृथक से शुल्क लिया जाना होगा, **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 में निम्न कंडिकाओं को समाहित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

स.क.	**विवरण**	**शुल्क**	**नीति के दिशा निर्देशानुसार कंडिका**
1	पूर्व नीतियों पंजीकृत परियोजना का नवीन नीति-2022 में स्थांनातरण	निरंक	1.2.3
2	कंपनी का नाम परिवर्तन/पंजीकरण परिवर्तन (लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड लाईबिलटी कंपनी पब्लिक से पब्लिक लिमिटेड इत्यादि) जिसमें कंपनी के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नही हो रहा हो।	रू. 5000 प्रति मेगावाट (अधिकतम शुल्क रू. 1.00 करोड तक सीमित)	2.4.4
3.	कंपनी के मर्जर/डिमर्जर/खरीदे जाने/पुर्नगठन/विलय अथवा इसी तरह के अन्य किसी कारण से कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन	रू.10,000 प्रति मेगावाट (अधिकतम शुल्क रू.2.00 करोड़	2.4.5

		तक सीमित)	
4	परियोजना के स्थल परिवर्तन (पूर्व स्थल से दो किलोमीटर की अधिक दूरी पर स्थित अन्य स्थल)	रू.10,000 प्रति मेगावाट (अधिकतम शुल्क रू.2.00 करोड़ तक सीमित)	2.4.5
5	पंजीकृत परियोजना के विवरण में उपरोक्त उल्लेखित स.क. 2,3,व 4 के अतिरिक्त अन्य कोई परिवर्तन अथवा परियोजना का उप पंजीजन अथवा ऋण दाता का परिवर्तन	रू. 5000 प्रति मेगावाट (अधिकतम शुल्क रू. 1.00 करोड तक सीमित)	2.4.5

उपरोक्त शुल्क की गणना परियोजना क्षमता के प्रति मेगावाट के आधार पर की जावेगी। उपरोक्त शुल्क मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पंजीयन सह सुविधा शुल्क के लिए नामित खाते में जमा की जावेगी। उक्त दिशा-निर्देश नवीन **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 से ही लागू मानी जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से.
तथा आदेशानुसार

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

पृ.क्र. : एफ 1-5/2021/साठ **भोपाल, दिनांक ०७.10.2022**

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

R/2245/SE
16/11/22

M.P.U.V.N.
No. 1208 Date
11/11/2022
SE

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग